मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

वल्लभ भवन मंत्रालय - 462004

// आदेश//

भोपाल, दिनांक 8 /09/2022

क्रमांक/1261/762163/2022/38-2: राष्ट्रीय युवा नीति के प्रारूप पर अभिमत/इनपुट देने के सम्बंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 23/07/2022 को रविन्द्र भवन, (यूथ पंचायत) में की गयी घोषणा क्रमांक सी 1650 " शासकीय महाविद्यालयों एवं विभागों में युवा सेल का गठन किया जावेगा, जो युवा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा" के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में " युवा सेल" के गठित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

"युवा सेल" का उद्देश्य:-

"युवा सेल" का उद्देश्य युवा नीति के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा करना तथा उत्कृष्ट संचालक के लिए आयोजन समिति को सुझाव प्रस्तुत करना जिससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में युवाओं के मध्य सकारात्मक एवं आदर्श वातावरण निर्मित हो सके।

विश्वविद्यालय में "युवा सेल" के गठन का स्वरूप:-

माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में विश्वविद्यालय में "युवा सेल' का गठन किया जाए। "युवा सेल" की संरचना निम्नानुसार की जाए: -

1. संरक्षक - कुलपति
2. अध्यक्ष - वरिष्ठ संकाय अधिष्ठाता
3. सचिव - समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना
4. प्रावीण्यता के आधार पर - 4 विद्यार्थी(छात्र/छात्रा सहित स्नातक 2 एवं स्नातकोत्तर 2) संरक्षक द्वारा मनोनयन
5. एन.एस.एस.,एन.सी.सी. खेलकूद एवं साहित्यिक- सांस्कृतिक गतिविधि से 1-1 विद्यार्थी-संरक्षक द्वारा मनोनयन
6. एल्यूमनाई सदस्य - 2 संरक्षक द्वारा मनोनयन
7. अभिभावक सदस्य - 2 (1 महिला एवं 1 पुरूष) संरक्षक द्वारा मनोनयन
8. सासंद प्रतिनिधि सदस्य - 1
9. विधायक प्रतिनिधि सदस्य - 1

महाविद्यालय में "युवा सेल" के गठन का स्वरूप

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में महाविद्यालयों में "युवा सेल" का गठन किया जाए। "युवा सेल" की संरचना निम्नानुसार की जाए :-

1. संरक्षक - प्राचार्य
2. अध्यक्ष - महाविद्यालय का एक वरिष्ठ प्राध्यापक
3. सचिव - एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. का कार्यक्रम अधिकारी
4. प्रावीण्यता के आधार पर - 4 विद्यार्थी(छात्र/छात्रा सहित स्नातक 2 एवं स्नातकोत्तर 2) संरक्षक द्वारा मनोनयन
5. एन.एस.एस.,एन.सी.सी. खेलकूद एवं साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधि से 1-1 विद्यार्थी-संरक्षक द्वारा मनोनयन
6. एल्यूमनाई सदस्य - 2 संरक्षक द्वारा मनोनयन
7. अभिभावक सदस्य - 2 (1 महिला एवं 1 पुरूष) संरक्षक द्वारा मनोनयन
8. सासंद प्रतिनिधि सदस्य - 1
9. विधायक प्रतिनिधि सदस्य - 1

निरन्तर---2

"युवा सेल" का कार्य:-

युवा नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कार्य करना तथा उसके अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में आयोजित गतिविधियाँ संचालित करना। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में आयोजित गतिविधियों की समाप्ति के तीन दिवस में विस्तृत प्रतिवेदन 'सेल' के सुझाव सहित संरक्षक को प्रेषित करना।

संस्था प्रमुख का दायित्व:-

"युवा सेल" से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटीव काउंसिल एवं महाविद्यालय की स्टाफ काउंसिल की बैठक आयोजित कर आगामी कार्ययोजना तैयार करना।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का दायित्व:-

प्रत्येक दो माह में क्षेत्राधिकार के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ युवा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की अकादमिक शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे।

कुलसचिव दायित्व:-

समस्त कुलसचिव संबंधित विश्वविद्यालयों की प्रत्येक दो माह में युवा नीति के क्रियान्व्यन की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त,उच्च शिक्षा, संचालनालय की अकादमिक शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में गठित "युवा सेल" तथा संबंधित अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8-9-22

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 8/09/2022

पृ. क्रमांक: 1262 /762163/2022/38-2

प्रतिलिपि-

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. निज सहायक, कुलपति समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई. टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8-9-22

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग